क्रमांक : DoIT / RajKaj / 2025 / 73 दिनांक: 10 / 02 / 2025

कार्यालय आदेश

श्रीमान् संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष का पत्र क्रमांक F8(24)Doc/Gen/-00042 राजकाज रेफरेन्स नं. 13318129 दिनांक 31.01.2025 के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत क्रियान्वयन संबंधी माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण डायरी संख्या 22553 / 2023 में दिए गए निर्णय की अनुपालना में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिये समिति का गठन किया जाना है।

उक्त आदेश की अनुपालना में जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डूंगरपुर में The Sexual Harassment of women at workplace(Prevention Prohibition and Redressal) act 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:–

क्र.सं.	नम व पद	समिति
1	श्रीमती सपना पाटीदार सहायक प्रोग्रामर	अध्यक्ष
2	श्रीमती रेणु पाण्डोर सहायक प्रोग्रामर	सदस्य
3	सुश्री भारती मीणा सहायक प्रोग्रामर	सदस्य
4	श्री शमीर कुमार मीणा उप निदेशक (एसीपी)	सदस्य

(मुकेश कुमार वर्मा)
संयुक्त निदेशक
जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी
एवं संचार विभाग डूंगरपुर

क्रमांक : DoIT / RajKaj / 2025 / 73 दिनांक: 10 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डूँगरपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राज. जयपुर।
4. .....अध्यक्ष / सदस्य
5. कार्यालय हांजा।

संयुक्त निदेशक
जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी
एवं संचार विभाग डूंगरपुर

Signature valid
Digitally signed by Mukesh Kumar Verma
Designation : System Analyst (Joint Director)
Date: 2025.02.10 15:46:17 IST
Reason: Approved

DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

(Most Urgent)

क्रमांकः F8(24)Doc/Gen/98/-00042/

दिनांक

समस्त जिला कार्यालय
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान।

विषयः– **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत क्रियान्वयन संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण डायरी संख्या 22553/2023 में दिए गए निर्णय की अनुपालना के क्रम में।**

प्रसंगः– **महिला अधिकारिता पत्रांक 16(4)(5)/निमअ/यौन.उत्पी./2022/13100750/ दिनांक 21.01.2025 |**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत क्रियान्वयन संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण डायरी संख्या 22553/2023 में दिए गए निर्णय के क्रम में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करवाया जाना है।

साथ ही, उक्त क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गए शी–बॉक्स पोर्टल पर कार्यस्थलों की आन्तरिक समितियों की सूचना अपलोड़ कराने की कार्यवाही दिनांक 31.01.2025 तक आवश्यक रूप से की जानी है। अतः नीचे दिए गए लिंक पर अपने कार्यालय की सूचना (कार्यालय नाम, नोडल अधिकारी, मेल आई.डी, मोबाईल नं., कार्यालय नम्बर STD कोड़ नम्बर सहित, पिन कोड, जिला एवं कार्यालय पता सहित) अंकित करावें।

Google Sheet Link:- DoIT Protection cell.xlsx

अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत समितियों एवं स्थानीय शिकायत समितियों के गठन हेतु जारी परिपत्र संदर्भ हेतु संलग्न है। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए सहायक प्रोग्रामर सुश्री सरिता गुप्ता, को दूरभाष नं. 0141–2929740 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1 श्रीमती नीलू जैन, तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2 श्रीमती श्वेता सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3 प्राधानाचार्य, कनोडिया कॉलेज, जयपुर।
4 श्री राजेश असावा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5 श्रीमती लवीना मोदी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6 प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट सेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
7 निजी / रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

Document certified by SANJAY JAGDISH KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Sanjay Jagdish Karnik
Designation : Head Of Office
Date :31-01-2025 11:07:40

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला संरक्षण प्रकोष्ठ
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

Most -Urgent

क्रमांकःएफ16(4)(5)/निमअ/यौन.उत्पी./2022/00096 **जयपुर, दिनांकः**

अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त विभाग, राज0, सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत क्रियान्वयन संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण डायरी संख्या 22553/2023 में दिये गए निर्णय की अनुपालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa & Ors. तथा डायरी संख्या 22553/2023 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2024 (प्रति संलग्न) के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों/निगम/बोर्ड/ स्वायत्त शासी निकाय/वित्त पोषित संस्थाओं में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. सभी विभाग अपने तथा अपने अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों निकायों, राजकीय संगठनों इत्यादि के राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर के कार्यालयों में दिनांक **31.12.2024** तक आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन करावें तथा समितियों का गठन अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुरूप हो।
2. सभी विभाग अपने अधीन राज्य के समस्त कार्यालयों की ज़िलेवार सूची संबंधित ज़िले के कलेक्टर को प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें ताकि उनके द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जा सके।
3. आपके विभाग के अधीन संबंधित प्राधिकरण/पदाधिकारी/संगठन/संस्थान/निकाय इत्यादि गठित की गई समितियों से संबंधित सूचना यथा समिति के पदाधिकारियों का नाम, फोन/मोबाईल न., ई–मेल आईडी, ऑनलाईन शिकायत की प्रक्रिया तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी अपनी बेवसाईट पर उपलब्ध करावें तथा इसे समय–समय पर अद्यतन भी करावें।
4. विभिन्न पेशेवरों/व्यवसायियों (चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, वास्तुकारों, चार्टट अकाउण्टेंट, इंजिनियर्स, बैंकर्स एवं अन्य) के राज्य एवं सर्वोच्च स्तर के वैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षक केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, क्रीड़ा संकुल, खेल स्थलों, स्टेडियम तथा सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों/नर्सिंग होमो द्वारा भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।

ajKaj Ref No.: 12460315

5. प्राधिकारियों/मेनेजमेंट/नियोक्ताओं द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों इन समितियों की कार्यप्रणाली तथा शिकायत प्राप्त होने पर जॉच की प्रक्रिया तथा रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में समितियों के गठन के तुरंत बाद जानकारी दी जाये। साथ ही इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार–प्रसार हेतु नियमित रूप से आमुखीकरण कार्यशालाओं, सेमिनार, वर्कशॉप एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गए शी–बॉक्स पोर्टल पर आपके विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों/निगम/बोर्ड/ स्वायत्त शासी निकाय/वित्त पोषित संस्थाओं पर कार्य–स्थलों की आन्तरिक समितियों की सूचना अपलोड कराने की कार्यवाही करावें। यह कार्य आपके विभाग द्वारा नियुक्त स्टेट नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना है। इस हेतु लॉग–इन–आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में ही आपको उपलब्ध करवा दिये गये हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो श्री मुरारी लाल गुप्ता, उपनिदेशक, महिला अधिकारिता से मो. नं. 9314923020 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत समितियों एवं स्थानीय शिकायत समितियों के गठन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी परिपत्र सुलभ संदर्भ हेतु सलंग्न है।

उपरोक्त बिन्दुओं की पालना की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार।

(महेन्द्र सोनी)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
जयपुर, दिनांकः

क्रमांकःएफ16(4)(5)/निमअ/यौन.उत्पी./2022/00096

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, राज. जयपुर।
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, ज़िला समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

ajKaj Ref No.: 12460315

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्रमांकःएफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 65765 जयपुर दिनांकः– 30/12/13

परिपत्र

महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अध्याय II- आंतरिक शिकायत समितियों का गठन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखंड स्तर पर स्थित है, आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाई पर किया जाना आवश्यक है।

2. आंतरिक शिकायत समिति का गठन नियोक्ता के द्वारा निम्नानुसार किया जाएगाः–

(अ.) अध्यक्ष के पद पर ऐसी महिला का नामांकन किया जाए जो उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हो। यदि ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नही है तो संबंधित संस्था के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा: यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों में भी ऐसे वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो उस नियोक्ता के अन्य कार्यस्थलों अथवा विभाग अथवा संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जावे।

(ब.) कम से कम दो सदस्यों को उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से नामांकित किया जावे जो महिलाओं से संबंधित विषयों के प्रति कार्य करने में पर्याप्त अनुभवी एवं समर्पित हो तथा जिनको सामाजिक कार्य अथवा कानून की जानकारी हो।

(स.) एक सदस्य को ऐसी स्वयं सेवी संगठनों में से नामित किया जावे जो महिलाओं के विषयों के प्रति समर्पित हो एवं ऐसा व्यक्ति यौन शोषण के मुद्दे में पर्याप्त जानकारी रखता हो।

बशर्ते की उपरोक्तानुसार नामित सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य महिलाए होनी चाहिए।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार (अधिकतम 3 वर्ष) किया जाएगा।

4. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के अनुसार दिये जा सकेगें।

5. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अंतर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा।

6. अधिनियम के अध्याय VII की धारा 20 (a) की पालना में जिला अधिकारी (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा:

   (a) स्थानीय शिकायत समितियों द्वारा नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की निगरानी की जाएगी।

   (b) यौन शोषण एवं महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगें

7. अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21 (1) की पालना में:

   (1) आंतरिक शिकायत समितियों के द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए निर्धारित फार्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को प्रेषित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होगें:

   (i) वर्ष मे प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;

   (ii) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया;

   (iii) ऐसे मामलो की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है,

   (iv) लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;

   (v) नियुक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप;

   (2) जिला अधिकारी के द्वारा धारा 21(1) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

आदेश से

(विपिन चंद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकःएफ. 16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 65766-966 जयपुर, दिनांकः 30/12/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान
9. विभागाध्यक्ष समस्त.....
10. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. महानिरीक्षक पुलिस, (मानवाअधिकार)
12. आयुक्त एवं सचिव, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, राजस्थान, जयपुर
14. जिला कलेक्टर समस्त.....
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त.....
16. उपनिदेशक, आईसीडीएस/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग समस्त.....
17. कार्यालय आदेश प्रति।

(राजेश यादव)
निदेशक,
महिला अधिकारिता विभाग